भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2324025
दिनांक : 03.08.2009

... ए.सी. / 06 / 15 / 2009 / एफ.सी / 529

सेवा में,
उप सचिव (वन),
राज्य सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (अण्डर सी0यू0पी0एल0 स्कीम) जिला बुंदी के अन्तर्गत एग्जिस्टिंग बीटी रोड लक्ष्मीपुरा से बूंदी सड़क किमी0 0/0 से 10/0 के अपग्रेडेशन हेतु 1.920 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

संदर्भ : अतिरिक्त सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के प0 1(16)वन/09 जयपुर, दिनाँक: 16/06/2009

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (अण्डर सी0यू0पी0एल0 स्कीम) जिला बुंदी के अन्तर्गत एग्जिस्टिंग बीटी रोड लक्ष्मीपुरा से बूंदी सड़क किमी0 0/0 से 10/0 के अपग्रेडेशन हेतु 1.920 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं शुन्य वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष मे प्रत्यावर्तित भूमि के समतुल्य अर्थात 1.920 हे0 गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी । इस भूमि को वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इसे आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 मे दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा किया जायेगा।
4. भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1581, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा कराया जाये।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। प्रयोक्ता अभिकरण को वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नही की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नही किये जाते।

भवदीय,

(अंकुरराज सिंह)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. महानिरीक्षक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, बुन्दी राजस्थान।
4. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, बुन्दी, राजस्थान।
5. गार्ड पत्रावली ।

(अंकुरराज सिंह)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

Scanned by CamScanner